

दिल्ली विधान सभा सचिवालय  
समाचार भाग-2  
(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)  
शुक्रवार, 22 अगस्त, 2008/श्रावण 31, 1930 (शक)

संख्या- 273

विषय:- सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधान सभा, दिल्ली को सम्बोधित,  
एस.एच.ओ, नन्द नगरी, दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

“मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों,  
श्री मोहन सिंह बिष्ट एवं श्री साहब सिंह चौहान को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की  
धारा 65 के अंतर्गत, दिनांक 21.08.2008 को 11.00 बजे डी.सी.ऑफिस, नन्द नगरी  
से गिरफ्तार किया गया।

उन्हें, उसी दिन, उसी स्थान से 12.15 बजे रिहा कर दिया गया”।

सिद्धार्थ राव  
सचिव

**DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT**  
**BULLETIN PART-II**

(General information relating to legislative and other matters)  
Friday, 22<sup>nd</sup> August 2008/ 31 Śarvana, 1930(Saka)

No. 273

Sub: **DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS**

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha,  
Delhi, was received from SHO, Nand Nagari, Delhi.

"I have the honour to inform you that Shri Mohan Singh Bisht and Shri  
Sahab Singh Chauhan Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi,  
were detained u/s 65 of Delhi Police Act, from D.C. Office Nand Nagari at  
1100 Hrs. on 21.8.2008.

They were released at 1215 Hrs. from the same place on the same  
date."

Siddharath Rao  
Secretary